न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा आरएएस

मुकदमा नम्बर – 203/2017
जीसीएमएस नम्बर –2017/00392

1. बाबुलाल
2. राजेश
पुत्रान हनुमान जाति जांगिड ब्राहमण निवासी धण्डावा तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं

––वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र भोलाराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
2. संतोष पुत्री भोलाराम स्त्री रामनिवास जाति जांगिड ब्राहमण हाल निवासी सुलताना तहसील चिडावा जिला झुझुनूं
3. सरोज उर्फ लुका पुत्री भोलाराम स्त्री सत्यवीर जाति जांगिड ब्राहमण निवासी धरडाना तहसील बुहाना जिला झुझुनूं
4. राजबाला पुत्री भोलाराम स्त्री प्रहलाद जाति जांगिड ब्राहमण निवासी सुलताना तहसील चिडावा जिला झुझुनूं
5. रतनी पुत्री भोलाराम स्त्री ज्ञानाराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी खातियों की ढाणी तन लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
6. बिमला पुत्री भोलाराम स्त्री मुलाराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी सुलताना तहसील चिडावा जिला झुझुनूं
7. कलावती पुत्री रोहतास जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
8. सुनिता पुत्री रोहतास स्त्री मुकेश जाति जांगिड ब्राहमण निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

9. विकास पुत्र रोहतास जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
10. अनिता पुत्री रोहतास स्त्री कपिल जाति जांगिड ब्राहमण निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुझुनूं
11. विजेन्द्र पुत्र रोहतास जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
12. कलावती पुत्री भोलाराम स्त्री विजयसिंह जाति जांगिड ब्राहमण निवासी धरडाना कलां तहसील बुहाना जिला झुझुनूं
13. किरसना स्त्री बुद्वराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
14. दीपक उर्फ टोनिया पुत्र बुद्वरराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
15. सोमवीर पुत्र बुद्वराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
16. महिपाल
17. सुरेश
18. अशोक
19. नरेश
20. राजीव
21. पुत्रान गोकलराम समस्त जाति जांगिड ब्राहमण निवासी धण्डावा तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
22. मन्जू पुत्री गोकलराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
23. भगवानी स्त्री गोकलराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं
24. उपपंजीयक सूरजगढ।
25. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

------प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण – श्री वीरप्रकाश
प्रतिवादीगण –एक पक्षीय कार्यवाही

दावा घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय :– 22.06.2021

वादीगण की ओर से वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क)– वाके ग्राम बिगोदना स्थित भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 1.82 है. का वादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा वादीगण की खातेदारी में अलग से दर्ज किया जावे।

(ख)– यह कि वाके ग्राम बिगोदना स्थित भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 3.49 है. में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 12 को बहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 11 को संयुक्त रूप सं 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 16 से 22 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा का खोतदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा अलग से बंटवारा कर खातेदारी में दर्ज की जावे।

(ग)– यह है कि वाके ग्राम बिगोदना स्थित भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 3.49 है. में से पश्चिम दिशा की 1.75 है. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 16 से 22 को धोषित किया जावे तथा अलग से खातेदारी में दर्ज की जावे।

(घ)– प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीन हाल खसरा नम्बर 369 वाके ग्राम बिगोदना को विक्रय,रहन नही करे, वादीगण के कब्जाकाश्त एवं उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करे।

वाद पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामिल करवाई गई। बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं।

वाद वादीगण दिनांक 25.10.2018 को प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार सूरजगढ को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार सूरजगढ के पत्र क्रमांक 577 दिनांक 03.03.2020 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुयें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

पक्षकरान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद का अंतिम डिक्री जाने की सहमति जाहिर की गई है।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके **ग्राम बिगोदना** स्थित भूमि हाल खसरा न0 369 रकबा 1.87 है0, खसरा न0 218 रकबा 3.49 है0, का मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " प्रदर्श अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन है तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 22.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: अभिलाषा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 203/2017
जीसीएमएस नम्बर –2017/00392
निर्णय दिनांक :– 22.06.2021

बाबुलाल आदि बनाम महेन्द्र आदि

दावा– घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री वीरप्रकाश एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **22.06.2021** को **अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बिगोदना स्थित भूमि हाल खसरा न0 369 रकबा 1.87 है0, खसरा न0 218 रकबा 3.49 है0, का मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " प्रदर्श अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन है तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **22.06.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner